कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

–: आदेश :–

कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/शालादर्पण/60304/2019/751 दिनांक 15.01.2020 के द्वारा विद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टॉफ की नियमित उपस्थिति की सुनिश्चितता हेतु शालादर्पण पर **दैनिक ऑन लाईन उपस्थिति मॉड्यूल** के माध्यम उपस्थिति प्रारम्भ की गई थी तथा समस्त संस्था प्रधान को स्वयं के विद्यालय एवं समस्त पीईईओ को अपने विद्यालय के साथ–साथ ग्राम पंचायत क्षेत्राधिकार में स्थित राप्रावि/राउप्रावि के समस्त कार्मिकों की उपस्थिति की शालादर्पण पॉर्टल पर दैनिक आधार पर अंकन हेतु प्रक्रिया तथा कार्मिकों के द्वारा ऑनलाईन अवकाश आवेदन प्रक्रिया के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये थे। उक्त आदेश के क्रम में समस्त संस्था प्रधानों को आदेशित किया जाता है कि वे शालादर्पण पर दैनिक ऑनलाईन उपस्थिति मॉड्यूल में स्टॉफ की उपस्थिति का अंकन प्रत्येक कार्य दिवस दोपहर 2:00 बजे तक किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

दोपहर 2:00 के पश्चात् समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अपने ब्लॉक/जिले के विद्यालयों की उपस्थिति के शाला दर्पण पर अंकन की मॉनिटरिंग करेंगे व प्रत्येक कार्य दिवस के सायं 5:00 बजे तक दैनिक ऑनलाईन उपस्थिति मॉड्यूल के माध्यम से शालादर्पण पर शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/शालादर्पण/60304/2019/873 दिनांकः 26.11.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राज. स्कूल शिक्षा परिषद्, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज(प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
8. समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/संस्थाप्रधान।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा।
10. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
11. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर